प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव
उ०प्र० शासन।

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या–: 2825 / सत्तर–3–2019–08(40) / 20

सेवा में,

1. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2019

विषयः– दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को संविधान दिवस आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संसदीय कार्य अनुभाग–2 के पत्र संख्या–18भा0स0 / 90–स0–2–2019, दिनांक 2 नवम्बर 2019 के साथ संलग्न पत्र सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं0 A2J EVENT/02/2014 दिनांक 18.11.2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार पत्र के संलग्नक में उल्लिखित Preamble to the Constitution को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस 26 नवम्बर को पूर्वान्ह 11:00 बजे राज्य विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों / निदेशालय तथा अन्य समस्त कार्यालय में पढ़ा जाय।

2– इसके साथ इसकी फोटोग्राफ को सुश्री सुषमा ताईशेट्टी, संयुक्त सचिव (टेलीफोन न0–011–23385020 ईमेल jsst-doj@gov.in) अथवा श्री शैलेश श्रीवास्तव, निदेशक (टेलीफोन न0–011–23072135, ई–मेल dir11-doj@gov.in) तथा निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज के ई–मेल आई0डी0 info@dheup.com में भेजने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

A.o(Acadm.)
25/11/19

संख्या–2825(1) / सत्तर–3–2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– संसदीय कार्य अनुभाग–2
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।

समस्त प्राचार्य / विभागाध्यक्ष
सम्बद्ध महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर
उपर्युक्त अंकित समय एवं संलग्नक पत्र
अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भारत का संविधान

उद्देशिका।

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और [2][राष्ट्र की एकता और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में *आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी)* को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।